

अवकाश नगदीकरण

छ0ग0 शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/87/551/87/नि-1/चार, दिनांक 09.03.1987 एवं ज्ञापन क्रमांक/50/1815/20/नि-6/चार, दिनांक 08.01.1996 एवं जी-03/02/96/सी/चार, दिनांक 29.02.1996 में वर्णिक आदेश के अधीन कर्मचारी के अवकाश खाते में सेवानिवृत्त दिनांक को शेष अर्जित अवकाश के अंतर्गत नियमानुसार अधिकतम 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र दिवस) के समतुल्य नगद राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगदीकरण केवल मूल वेतन (पे बैंड + ग्रेड पे) एवं महंगाई भत्ते पर देय होगा।


प्रबंधक कार्मिक